भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1886

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम

1886. श्री पि. भट्टाचार्यः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में विदेशों में हुई आतंकवादी वारदातों तथा अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, देश की आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपयुक्त कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): आतंकी गतिविधियों से मुकाबला करने के उद्देश्य से, केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच नजदीकी एवं प्रभावी समन्वय मौजूद है, जिसके परिणामस्वरुप देश में बहुत से आतंकी माड्यूलों को नाकाम किया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा इस्लामिक स्टेट (आईएस)/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवेन्ट (आईएसआईएल)/इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस)/डेइश को आतंकी संगठन के रुप में अधिसूचित किया गया है और इन्हें विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है।

आईएसआईएस अपनी विचाराधारा का प्रचार करने के विभिन्न मंचों का प्रयोग कर रहा है। आसूचना एवं सुरक्षा एजेंसियां इनमें भर्ती होने की संभावना वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए उन पर बेहद नजदीक से नजर रखती हैं और आवश्यकतानुसार आगे कार्रवाई करती हैं।

भारत सरकार ने अनेक अन्य कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की नफरी में वृद्धि करना;
- चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई में एनएसजी हब की स्थापना;
- किसी भी आपातकालीन स्थिति में एनएसजी कार्मिकों को लाने-ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट की मांग के लिए महानिदेशक, एनएसजी को शक्ति देना;
- सख्त आप्रवासन नियंत्रण;
- सीमाओं पर गश्ती तथा चौबीसों घंटे निगरानी के माध्यम से प्रभावी सीमा प्रबंधन;
- निगरानी चौकियों की स्थापना, सीमा पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी का व्यवस्था करना, आधुनिक एवं उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरण लगाना;
- आसूचना सेटअप का उन्नयन;
- तटीय सुरक्षा का सशक्तिकरण।
- आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु दंडात्मक उपायों को सशक्त करने के लिए वर्ष 2008 और 2012 में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन।

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अधीन राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन, ताकि इसकी अनुसूची में विर्निद्ष्ट अधिनियमों के अधीन अपराधों की जांच की जा सके एवं अभियोजन चलाया जा सके।
- आतंकवाद एवं आंतरिक सुरक्षा के खतरों से मुकाबला करने हेतु कार्रवाई योग्य आसूचना एकत्र करने के लिए डाटाबेसों को आपस में जोड़ने के आशय से राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की स्थापना।
- अन्य बातों के साथ-साथ विधेय अपराध के रुप में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अधीन कतिपय अपराधों को शामिल करने के लिए वर्ष 2009 में धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन।
- आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो ट्रॉलरेंस नीति के हिस्से के रुप में विभिन्न बहु-पक्षीय एवं द्विपक्षीय मंचों में आतंकवाद के वित्तपोषण सहित इसके सभी स्वरुपों में सीमा पार से आतंकवाद के मामलों को उठाना।